

# महिला एवं बाल विकास विभाग

साधिकार अभियान के अन्तर्गत राजस्व विभाग की योजना

1. ई-लाइली लक्ष्मी योजना

# ई-लाइली लक्ष्मी योजना

## ई-लाइली लक्ष्मी योजना के उद्देश्य

बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं को शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में ई-लाइली लक्ष्मी योजना लागू की गई।

## ई-लाइली लक्ष्मी योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया



## ई-लाइली लक्ष्मी योजना में पात्र हितग्राहियों की आवश्यक शर्तें :-

- बालिका का परिवार मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये।
- बालिका के माता/पिता आयकर दाता न हो।
- बालिका का आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकरण होना अनिवार्य।
- बालिका परिवार की प्रथम संतान हो व उसका जन्म 1 अप्रैल 2008 को अथवा उसके उपरांत हुआ है।
- द्वितीय संतान की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व परिवार नियोजन अपनाया जाना आवश्यक है।

## ई-लाइली लक्ष्मी योजना के लिये आवश्यक दस्तावेज :-

- बालिका का टीकाकरण कार्ड (जच्चा बच्चा कार्ड) 1/2
- बालिका का माता/पिता के साथ फोटो।
- मूल निवासी/स्थानीय/माता या पिता मतदाता पहचान पत्र/परिवार का राशन कार्ड का प्रमाण पत्र।
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र ।
- द्वितीय संतान होने पर परिवार नियोजन अपनाये जाने का चिकित्सिय प्रमाण पत्र।

## ई-लाइली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र का प्रारूप :-

		
<b>प्रमाण-पत्र</b> <b>लाइली लक्ष्मी योजना</b> महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन,		
लाइली कु. ऐश्वर्या जागनानी, पुत्री श्रीमती प्रियंका जागनानी एवं श्री हितेश,		
जन्म तिथि 03-Apr-2014 पता- बैरागढ़ डुपूर, जिला भोपाल, को		
<b>कुल राशि रु. 1,18,000 /-</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• कक्षा 6 वीं में प्रवेश पर राशि ₹ 2,000 /-</li><li>• कक्षा 9 वीं में प्रवेश पर राशि ₹ 4,000 /-</li><li>• कक्षा 11 वीं में प्रवेश पर राशि ₹ 6,000 /-</li><li>• कक्षा 12 वीं में प्रवेश पर राशि ₹ 6,000 /-</li></ul> <b>एवं</b>		
12 वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर, 18 वर्ष के पूर्व विद्यालय न करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर <b>राशि ₹ 1,00,000 /-</b> देने का वचन देता है।		
लाइली क्रमांक 1231046245 दिनांक 11-May-2015		सील व हस्ताक्षर स्वीकृतकर्ता अधिकारी